



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए “केंद्रित” “CENTRAL” TO YOU SINCE 1911

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना

गुरुवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2013, मुंबई

NOTICE FOR EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING
THURSDAY, DECEMBER 5, 2013, MUMBAI

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.



CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai - 400 021

विषय-सूची / CONTENTS

विषय सूची CONTENTS	पृष्ठ सं. PAGE NO
सूचना Notice	1
नोट Notes	5
व्याख्यात्मक विवरण Explanatory Statement	11
प्रॉक्सी फॉर्म Proxy Form	19
उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पास Attendance Slip-cum-Entry Pass	23



सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय : चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक गुरुवार, दिनांक 05 दिसम्बर 2013 को सायं:4.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले पार्ले (प.), मुंबई 400056 में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधन के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना

“प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात “अधिनियम”कहा जाएगा), सहपठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात “योजना” कहा जाएगा) एवं सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात “विनियम” कहा जाएगा) एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और/अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों की शर्त पर एवं उनके द्वारा उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए निर्धारित शर्तों एवं संबोधनों, जिनसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मामले) अधिनियम, 2009 (“सेबी आईसीडीआर विनियम”) एवं भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों की शर्तों के अधीन एवं उन स्टॉक एक्सचेंजों जिनमें बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करार की शर्त पर बैंक के शेयरधारकों की सहमति है, जिसे बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात “बोर्ड” कहा जाएगा) जिसमें पूंजी जुटानेवाली समिति भी शामिल है, जो इस प्रस्ताव में निहित शक्ति सहित बोर्ड की शक्तियों के उपयोग के लिए गठित की गई है/ अथवा पुनर्गठित की जानी है, को सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76 के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित कुल मिलाकर रु. 1800 करोड़ (रु. एक हजार आठ सौ करोड़ मात्र) तक के रु. 10/- अंकित मूल्य के अधिमान आधारित रु. 58.85 प्रति ईक्विटी शेयर मूल्य पर भारत सरकार को 30,58,62,361 ईक्विटी शेयर तक ईक्विटी शेयर निर्मित, निर्गमित तथा आबंटित करने के लिए उक्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.



CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT an Extra-ordinary General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Thursday, 5th December, 2013 at 4.00 P.M. at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (west), Mumbai, 400056 to transact the following business :

To consider and if thought fit, to pass with or without modification the following as a Special Resolution: -

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the 'Regulations') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Government of India(Gol), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution to create, offer, issue and allot upto 30,58,62,361 Equity Shares to Government of India of the face value of Rs.10/- each on preferential basis at a price of Rs. 58.85 per Equity Share determined by the Board in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations aggregating upto Rs. 1,800/- crore (Rupees One Thousand Eight Hundred Crore only)."

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम मूल्य निर्धारण की संगत तारीख 05-11-2013 है.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति होगी कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ वे स्टॉक एक्सचेंज , जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए.”

“आगे प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी एवं आबंटित किए जाने वाले कथित ईक्विटी शेयर डीमेट स्वरूप में जारी किए जाएंगे तथा वे सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत आवश्यक लॉक इन अवधि के अधीन होंगे एवं सभी पहलुओं में बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप रैंक किए जाएंगे तथा लाभांश, यदि हो, की घोषणा करने के समय लागू वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और ईक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टतः उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.”

निदेशक मंडल के आदेश से
वास्ते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(हस्ताक्षर)

(ए. के. दास)

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई

दिनांक : 05.11.2013

“RESOLVED FURTHER THAT the ‘Relevant Date’ for determination of the Issue Price is 05-11-2013.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations and shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

**BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For Central Bank of India**

**Place : Mumbai
Date : 05.11.2013**

**Sd/-
(A K DAS)
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary**

नोट :

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की कार्यसूची के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्दिष्ट करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2013 को अपराह्न 2.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक के शेयरधारक किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की प्रति चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2013 को अपराह्न 2.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए.

4. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.

5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में “प्रॉक्सी” अथवा “प्राधिकृत प्रतिनिधि”, जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए.

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 2.00 PM on Saturday, 30th November, 2013.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 2.00 PM on Saturday, 30th November, 2013.

4. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders/Authorised Representatives should state on the Attendance Slip-Cum-Entry pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

6. मतदान का अधिकार

इस अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा।

7. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा।

8. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में नोटिस की स्व प्रति अपने साथ लाएं.

9.1 भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना:

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अतः शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें। आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवा प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है। शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि। साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों।

तदपि, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें।

- बैंक का नाम
- शाखा का पता
- बैंक खाता संख्या

6. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

7. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

8. Shareholders are requested to bring their copies of the Notice to the Meeting.

9.1 Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

However, if you are still interested in holding the shares in physical form and not opting for demat, please provide us with the following Bank details to enable us to credit your Account with the dividend (as and when declared) directly.

- Name of the Bank
- Address of the Branch
- Bank Account Number

- शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- शाखा का आईएफएससी कोड

(अधिमानत: हमें एक निरस्त चेक/ चेक पत्रे की प्रतिलिपि प्रेषित करें).

कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेयरों के प्रथम धारक के नाम पर होना चाहिए.

9.2 डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना:

हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं. हमने पाया है कि कुछ ऐसे शेयरधारक हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं. तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरीज़ के पास दर्ज कराए गए पते पर लाभांश वारंट (डी.डब्ल्यू.) के द्वारा भेजे गए हैं.

यह उल्लेख करना उचित है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत/अद्यतन कराए होते तो लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगति से प्राप्ति सुनिश्चित की जाती और इससे डाक द्वारा लाभांश वारंट प्राप्त करने में समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था.

तदनुसार, हम उन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, ताकि नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश राशि सीधे जमा की जा सके. इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. है, को सभी भावी लाभांश राशि, वापसी राशि या अन्य प्रेषणों, यदि कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेतु अधिदेश उक्तानुसार बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं.

- 9 digit MICR code of the branch
- IFSC code of the Branch

(preferably, send us a cancelled cheque/ copy of a cheque leaf).

Please note that the bank Account should be in the name of the 1st holder of shares.

9.2 Intimation to shareholders holding shares in dematerialised form:

It is our constant endeavor to provide the best services to our valued shareholders. We observe that there are some shareholders who are holding shares in demat form but have not registered/updated their Bank account details with their Depository Participants (DPs) for getting Dividend amount directly credited to their Bank accounts. Accordingly, Dividend declared earlier, was paid to them by sending Dividend Warrant (DW) to the address maintained by them with Depositories.

It is worth noting that if such shareholders had registered / updated their Bank Account particulars with their DPs, the Dividend Amount would have been credited directly to their bank account thus, ensuring faster receipt of Dividend right on due date, saving time spent on receiving dividend warrant by post, no requirement for visiting bank for depositing the Dividend Warrant, non-apprehension of loss / theft of dividend warrant in transit or the likelihood of fraudulent encashment thereof.

We accordingly suggest these shareholders to register/ update their Bank Account details i.e. Bank Name, Branch Address, Account No., Account Type, Nine Digit MICR Code Number as appearing on cheque issued by their banks, with their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat Account, to facilitate credit of dividend amount directly to their Bank accounts right on due date. In addition to this, they may also send directly to the Bank or its RTA namely, Link Intime India Pvt. Limited abovesaid bank details with mandate to credit all future dividend amounts, refund amounts or other remittances, if any, to their bank accounts instead of sending any Dividend warrant, cheque, Demand Draft , etc.

व्याख्यात्मक विवरण

सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के निम्नलिखित विवरणों को प्रकट किया जाए:

I. प्रस्तावित अधिमानी निर्गम का उद्देश्य:

वित्त वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर एसओआई व्यावसायिक लक्ष्य तथा 8% सीआरएआर को हासिल करने के लिए लगभग रु. 1800 करोड़ की टियर 1 पूंजी की आवश्यकता अनुमानित है. बासल II के अंतर्गत ईक्विटी, बेमियादी गैर संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) तथा नवोन्मेषी बेमियादी उधार लिखत (आईपीडीआई) उगाही हेतु पात्र लिखत हैं. तथापि वर्तमान प्रारूप में पीएनसीपीएस एवं आईपीडीआई बासल III के अंतर्गत मान्य नहीं है. बासल III के पूंजीगत दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2013 (वर्तमान वित्त वर्ष) से प्रारंभ हो चुका है. दिनांक 30.06.2013 को बासल III के अंतर्गत टियर 1 सीआरएआर 7.69% था एवं कुल सीआरएआर 11.32% था. बैंक के पास ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस के लिए रु. 338.42 करोड़ (अंकित मूल्य) की गुंजाइश है. चूंकि 30.06.2013 को न्यूनतम 8% टियर 1 सीआरएआर प्राप्त करने में बैंक अभी कुछ दूर है तथा 31.03.2014 को जोखिमभारित अस्तियों में संभावित वृद्धि को देखते हुए पूंजी प्रविष्टिकरण आवश्यक है. चूंकि पीएनसीपीएस सामान्य ईक्विटी के दायरे से बाहर है तथा उसे अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के एक भाग के तौर पर माना जाता है, अतः दीर्घकालिक योजना हेतु पीएनसीपीएस के स्थान पर कोर पूंजी (ईक्विटी शेयर) पर विचार करना वांछनीय है. भारत सरकार द्वारा इस ईक्विटी के प्रविष्टिकरण से भविष्य में आवश्यकता होने पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य कोई विनियामक प्राधिकारी, यदि कोई हो, के अनुमोदन पर बैंक को जनता या क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) से अधिकार/एफपीओ के माध्यम से और अधिक ईक्विटी पूंजी उगाहने में अतिरिक्त सहायता मिल सकेगी.

ईक्विटी के इस अधिमानी आबंटन के द्वारा प्राप्त की जाने वाली पूंजी को बैंक द्वारा किसी भी रूप में अपनी किसी भी अनुषंगी इकाई, संयुक्त उपक्रम आदि में निवेश करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाएगा.

II. निर्गम को अभिदान करने हेतु प्रवर्तकों/निदेशकों/ निर्गम के प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव

नीचे खंड (V) में दर्शाए अनुसार प्रवर्तक अर्थात् जैसे भारत सरकार को छोड़कर अन्य कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति इस ईक्विटी शेयर में अभिदान नहीं करेगा.

EXPLANATORY STATEMENT

The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations:

I. The Objects of the proposed Preferential Issue:

The total Tier I capital required to meet SOI business target and the Tier-I CRAR of 8% has been projected at around Rs. 1800 crore at the end of financial year 2013-14. The eligible instruments to raise Tier I capital under Basel II are Equity, Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) and Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI). However PNCPS & IPDI in current format are not eligible under Basel III. Implementation of Basel III capital guidelines have commenced from 1st April 2013 (current financial year). As on 30.06.2013, Tier I CRAR under Basel III was 7.69% with total CRAR at 11.32%. Bank has Rs. 338.42 crore Head room (Face Value) for Equity and PNCPS . Since the Bank is little away from minimum 8% Tier I CRAR as on 30.06.2013 and with probable increase in Risk Weighted Assets as on 31.03.2014, capital infusion is necessary. Since PNCPS is outside Common Equity and to be treated part of Additional Tier I Capital, it is desirable to consider core capital (Equity share) rather than PNCPS as a long term plan. This infusion of equity by the Government would also give additional leverage to the Bank to raise further equity capital from the public by way of Rights / FPO/ Qualified Institutional Placement (QIP) at a later date as and when the need arises, subject to necessary approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities, if any.

The capital to be raised through this preferential allotment of equity will not be used by the Bank for making investment, in whatever form, in any of its subsidiaries, joint ventures, etc.

II. Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

None of the Directors or Key Management persons other than Promoter i.e. Government of India as mentioned in Clause (V) below intends to subscribe to the equity shares.

III. प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव के पहले और उसके उपरांत शेयरधारिता ढांचा

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या के संबंध में पूर्व-आबंटन	पूर्व-आबंटित प्रदत्त पूँजी का %	शेयरों की संख्या के संबंध में पश्च-आबंटन	पश्च-आबंटित प्रदत्त पूँजी का %
1.	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)(प्रवर्तक)	89,10,96,964	85.31	119,69,59,325	88.63
2.	अन्य शेयरधारक	15,34,79,990	14.69	15,34,79,990	11.37
3.	कुल (1+2+3)	104,45,76,954	100.00	135,04,39,315	100.00

IV. अधिमानता निर्गम पूर्ण किए जाने हेतु समय-सीमा :

शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने के 15 दिनों के भीतर आबंटन पूर्ण किया जाएगा, बशर्ते किसी विनियामक प्राधिकारी से उक्त आबंटन का अनुमोदन लेने में लगा समय इसमें विस्तारित किया जाय.

V. प्रस्तावित आबंटियों की पहचान तथा अधिमान निर्गम पश्चात उनके द्वारा रखी जाने वाली पूँजी का अनुपात तथा अधिमान निर्गम के उपरांत निर्गमकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो.

प्रस्तावित आबंटिती की पहचान	शेयरों की संख्या के संबंध में पूर्व-आबंटन	पूर्व-आबंटित प्रदत्त पूँजी का %	अधिमानता आधार पर आबंटित किये जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या के संबंध में पश्च-आबंटन	पश्च-आबंटित प्रदत्त पूँजी का %	पश्च-आबंटन वृद्धिगत %
भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	89,10,96,964	85.31	30,58,62,361	119,69,59,325	88.63	3.32

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक अर्थात् भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) का बैंक पर नियंत्रण जारी रहेगा और प्रस्तावित अधिमानता आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/ नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

VI. प्रस्तावित अधिमानी निर्गम का मूल्य निर्धारण

निर्गम मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीआर विनियमन के अध्याय VII के अनुसार किया गया है.

III. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of pre-allotment Paid Up Capital	Post allotment in terms of No. of Shares	% of Post-allotment Paid Up Capital
1.	President of India (Government of India), Promoter	89,10,96,964	85.31	119,69,59,325	88.63
2.	Other Shareholders	15,34,79,990	14.69	15,34,79,990	11.37
3.	Total (1+2)	104,45,76,954	100.00	135,04,39,315	100.00

IV. The timeline within which the preferential issue shall be completed:

The allotment shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment by any regulatory authority if any.

V. The identity of the Proposed Allottee and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue :

Identity of the Proposed Allottee	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of the Pre-allotment Paid up Capital	No. of Equity shares to be allotted on Preferential basis	Post allotment in terms of No. of shares	% of Post allotment Paid up Capital	Incremental % post allotment
President of India (Government of India)	89,10,96,964	85.31	30,58,62,361	119,69,59,325	88.63	3.32

The existing promoters of the Bank i.e. the President of India (Government of India) will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

VI. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price has been determined in accordance with the Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations.

The "relevant date" for determining the issue price of the resultant equity shares is 5th November 2013 which is 30 days prior to the date for passing this resolution by requisite majority of members i.e.

परिणामी ईक्विटी शेयरों के निर्गम का मूल्य निर्धारण के लिए “संगत तारीख” 5 नवम्बर, 2013 है, जो सदस्यों के अपेक्षित बहुमत द्वारा इस संकल्प को पारित करने की तारीख अर्थात् 5 दिसम्बर, 2013 से 30 दिन पूर्व है।

बैंक यह वचन देता है कि वह इन विनियमनों के प्रावधानों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का आवश्यकता पड़ने पर पुनः मूल्य निर्धारण करेगा।

बैंक यह भी वचन देता है कि यदि मूल्य के पुनः निर्धारण के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमनों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता, तो ईक्विटी शेयर उस समय तक लॉक-इन रहेंगे, जब तक आबंटियों द्वारा ऐसी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

VII. सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र

सांविधिक लेखापरीक्षकों से एक प्रमाणपत्र शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर प्रस्तावित अधिमानता निर्गम पर विचार करते हुए, यह प्रमाणित किया जाएगा कि निर्गम सेबी आईसीडीआर विनियमनों की आवश्यकता के अनुरूप जारी किया गया है। उक्त प्रमाणपत्र की एक प्रति निरीक्षण के लिए दिनांक 5 दिसम्बर, 2013 को आयोजित की जाने वाली असाधारण सामान्य बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी।

VIII. लॉक-इन अवधि

1. भारत सरकार को अधिमानी आधार पर 31 मार्च 2012 को आबंटित 64,009,090 ईक्विटी शेयर, जो कि ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से 3 वर्षों की अवधि अर्थात् 30 मार्च 2015 तक लॉक रहेंगे, को छोड़कर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) की संपूर्ण पूर्व-अधिमान होल्डिंग को संबंधित तिथि से शुरू करते हुए ईक्विटी शेयर के आबंटन की तिथि से छः माह की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा एवं भारत सरकार को दिनांक 20.मार्च 2013 को अधिमानी आधार पर आबंटित 30,84,61,538 ईक्विटी शेयर आबंटन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक अर्थात् दिनांक 19 मार्च 2016 तक लॉक-इन रहने की शर्तों के अधीन होंगे।
2. बैंक के ईक्विटी शेयर छः माह से भी पहले से सूचीबद्ध किए गए हैं एवं तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 76(3) एवं 78(5) के प्रावधान तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 के विनियमन 73(1)(एफ) एवं (जी) के अंतर्गत प्रकटन लागू नहीं हैं।
3. भारत सरकार को जारी एवं आबंटित किए जाने वाले शेयर, ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक लॉक रहेंगे।

भारत सरकार द्वारा रखे गए सभी शेयर डीमेट स्वरूप में हैं और उन स्टॉक एक्सचेंजों, जिनमें बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं के सूचीकरण अनुबंध में निर्दिष्ट ईक्विटी शेयरों की सतत लिस्टिंग की शर्तों का बैंक द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

5th December 2013.

The Bank undertakes that it shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these Regulations where it is required to do so.

The Bank also undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these Regulations, the equity shares shall continue to be locked - in till the time such amount is paid by the allottees.

VII Certification from Statutory Auditors:

A Certificate from the Statutory Auditors shall be placed before the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, considering the proposed preferential issue, certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI ICDR Regulations. A copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on 5th December 2013.

VIII Lock-in period:

1. The entire pre-preferential holding of President of India (Government of India) will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of Trading approval of equity shares except 64,009,090 equity shares allotted to Government of India on preferential basis on 31st March 2012 which are subject to lock in for a period of three years from the date of allotment i.e. upto 30th March 2015 and 30,84,61,538 equity shares allotted to Government of India on preferential basis on 20th March 2013 which are subject to lock-in for a period of three years from the date of allotment i.e. upto 19th March 2016.
2. The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.
3. The shares to be issued and allotted to Govt. of India will be locked in for a period of three years from the date of trading approval.

All the shares held by the Govt. of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

IX. उपर्युक्तानुसार जारी ईक्विटी शेयर हर प्रकार से बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के समरूप माने जाएंगे.

10. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ बैंक द्वारा निष्पादित सूचीबद्ध अनुबंध का खण्ड 23, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्दिष्ट करता है कि अतिरिक्त शेयरों के आबंटन द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिए जाने पर ऐसे शेयर जब तक कि विशेष संकल्प के द्वारा सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए, सबसे पहले बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु प्रस्तावित किए जाएंगे. जैसा कि प्रस्तावित है कि बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को समानुपात आधार के अलावा अन्य विधि द्वारा पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयर का आबंटन किया जाए, तो उपर्युक्त संकल्प का पारित किया जाना अपेक्षित है. साथ ही, सेबी आईसीडीआर संकल्प 2009 के विनियमन 72 के तहत भी ऐसा करना आवश्यक है.
11. आपके निदेशकगण आपके अनुमोदन के लिए संकल्प की अनुशंसा करते हैं.
12. बैंक के निदेशकगण, बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा तक अपनी वैयक्तिक हैसियत में अथवा भारत सरकार के नामिती के रूप में इस सूचना के संकल्प में सरोकार अथवा इच्छुक माने जाएंगे.

निदेशक मंडल के आदेश से
वास्ते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(हस्ताक्षर)

(ए. के. दास)

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई

दिनांक : 05.11.2013

- IX.** The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.
- 10.** Clause 23 of the Listing Agreement executed by the Bank with the Bombay Stock Exchanges and National Stock Exchange where the Bank's Equity Shares are listed, provides *inter-alia* that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Share by the method other than pro rata to the existing shareholder of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations, 2009.
- 11.** Your Directors recommend the resolution for your approval.
- 12.** The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution of the notice to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity or as nominee of Government of India.

**BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
For Central Bank of India**

**Place : Mumbai
Date : 05.11.2013**

**Sd/-
(A K DAS)
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary**



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

फॉर्म "बी "

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

पत्रा सं. या डीपी आईडी / ग्राहक आईडी	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम -----निवासी -----जिला-----
-----, राज्य -----, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसियत से
श्री/सुश्री -----निवासी -----जिला -----
-----, राज्य -----, को अथवा उसकी अनुपस्थिति में श्री/सुश्री -----
-----निवासी -----जिला -----, राज्य
-----, को गुरुवार, 05 दिसम्बर, 2013 सायं:4.00 बजे, स्थान: सर सोराबजी पोचखानावाला
बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कूपर अस्पताल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम विलेपार्ले (पश्चिम),
मुंबई - 400 056 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आयोजित होने वाली असाधारण सामान्य बैठक में मेरे/
हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

तारीख ----- माह ----- वर्ष 2013 को यह हस्ताक्षरित किया गया.

कृपया रेवेन्यू
स्टैम्प
चिपकाएं.

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर -

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम -----

(स्पष्ट अक्षरों में)

पता -----



CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

FORM 'B'

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

Folio No. or DP Id / Client-Id	
No. of Shares held	

I/We, _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholders of Central Bank of India hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of **CENTRAL BANK OF INDIA** to be held on Thursday, 5th December 2013 at 4.00 PM at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Nr. Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2013.

Please
affix revenue
stamp

Signature of the Proxy

Signature of the first named/ sole Shareholder

Name _____
(in Block Letters)

Address _____

प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;
 - (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - (सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत किया गया हो.
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, 30 नवंबर 2013 को अपराह्न 2.00 बजे से पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.
4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.
6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.
7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
8. प्रॉक्सी फार्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
9. प्रॉक्सी का प्रपत्र "फार्म बी" में न होने पर वैध नहीं माना जाएगा.

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder who is for any reason , unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.
3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 2.00 PM on Saturday, 30th November 2013, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

उपस्थिति पर्ची

असाधारण सामान्य बैठक - 05 दिसम्बर, 2013

दिन और दिनांक	गुरुवार, दिसम्बर, 2013
समय	सायं: 4.00 बजे
स्थान	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कूपर अस्पताल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056

सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	
पत्रा संख्या या डीपी आईडी / ग्राहक आईडी	
स्पष्ट अक्षरों में प्रॉक्सीधारक का नाम / उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधि (यदि कोई हो)	
उपस्थित सदस्य/ प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

पत्रा क्रमांक या डीपी आईडी / ग्राहक आईडी	
सदस्य का नाम (बड़े अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	

उपस्थित सदस्य/ प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

के नाम एवं हस्ताक्षर

शेयरधारकों/ प्रॉक्सीधारकों/ प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेशपत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें. प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों/ प्रॉक्सीधारकों/ प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे. तदपि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/ जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा. किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा.



CENTRAL BANK OF INDIA

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ATTENDANCE SLIP

Extra-ordinary General Meeting - 5th December, 2013

Day and Date	Thursday, 5th December, 2013
Time	4.00 PM
Place	Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Nr. Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056

Name of the Member (In Block Letters)	
No. of Shares	
Folio No. or DP Id/ Client-Id	
Name of the Proxy-holder/Authorised Representative Present (in Block Letters) (if any)	
Signature of the Member/Proxy / Authorised Representative Present	

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Folio No. or DP Id / Client-Id	
Name of Member	
No. of Shares	

Name and signature of attending Member/
Proxy/Authorised Representative Present

Bank Stamp and Signature

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the Shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट :

लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड

(इकाई - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया)

सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कम्पाउंड

एल.बी.एस.मार्ग, भांडुप (पश्चिम)

मुंबई, 400078

फोन : (022) 2596 3838

फैक्स : (022) 2594 6969

ई मेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Registrar and Share Transfer Agent:

Link Intime India Private Limited

(Unit-CENTRAL BANK OF INDIA)

C-13, Pannalal Silk Mills Compound

LBS Marg,

Bhandup (West)


Mumbai, 400078

Phone: (022) 2596 3838

Fax: (022) 2594 6969

E-Mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बुक-पोस्ट / Book-Post



सुपुर्दगी न होने पर कृपया लौटाएं:
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.
फोन: 022 - 6638 7818



If undelivered, please return to :
CENTRAL BANK OF INDIA
Head Office : Chandermukhi,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.
Phone: 022- 6638 7818